>

-

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding the electronic transfer of monthly progress reports of Rural Development Programme.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रावधान है कि **"ई-गवर्नेंस" को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।**

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्यान्वयन का स्तर बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। इनके संवर्द्धन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी और जानकारी देने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है।

मुझे इस सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के लोगों की जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टें अब ऑन-लाइन भी उपलब्ध हैं। आपको यह भी जानकारी देते हुए मुझे काफी संतुष्टि मिल रही है कि पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और इन्हें जनता के समक्ष रखा जाता है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, it is a very important statement. Please keep silence.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: ग्रामीण विकास मंत्रालय उन माननीय संसद सदस्यों का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में अपना बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया है। उनकी सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों/संबंधित राज्यों में आने वाले जिलों के लिए मासिक आधार पर मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण की व्यवस्था बनाई है।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने मेल बॉक्स में भेजी गई जनवरी, 2008 की मासिक प्रगति रिपोर्ट को देख लें। मंत्रालय ने अब तक 385 माननीय सदस्यों को इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रगति रिपोर्टें भेज दी हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित रिपोर्टों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक कराते समय इन जानकारियों का प्रयोग करें और अपनी बहुमूल्य जानकारी से हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वेबसाइट पर शेष सदस्यों का ई-मेल आई.डी. उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए माननीय संसद सदस्यों से mpr-mord@nic.in पर ई-मेल आई.डी. भेजने का अनुरोध किया गया है। [R2]

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्रालय से जिलों को निधियों के अंतरण की व्यवस्था पारदर्शी एवं कारगर बनाई गई है। सभी मंजूरी आदेश, चैकों के ब्यौरे और केन्द्र सरकार से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में निधियों के अंतरण के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में 97 प्रतिशत निधियों का इलैक्ट्रॉनिक तरीके से अंतरण किया जा रहा है।

साथ ही और अधिक पारदर्शिता लाने तथा स्टेक होल्डरों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को नेट पर उपलब्ध मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजें। राज्यों से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को यह निदेश देने के लिए भी कहा गया है कि वे जिले की पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों से संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान करें। मंत्रालय ने इस व्यवस्था के जरिए मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मीडिया कर्मियों को भी मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति भेजने का भी निर्णय लिया है।

आप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in को भी देख सकते हैं।

(Placed in Library, See No. LT 8153/2008)

MR. SPEAKER: I would like to compliment you and your Ministry for this initiative. My only request to all the hon. Members is that all of us should utilize this facility which is made available.

The hon. Home Minister wants to make a statement now.

-